रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 3, 1974/पौष 13, 1895

No. 4] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 3, 1974/PAUSA 13, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January 1974

S.O. 10(E).—The following Order made by the President is published for general information:—

ORDER

Whereas I, V. V. Giri, President of India, have received a report from the Administrator of the Union territory of Pondicherry and after considering the report and other information received by me, I am satisfied that a situation has arisen in which the administration of the Union territory of Pondicherry cannot be carried on in accordance with the provisions of the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963) (hereinafter referred to as "the Act");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 51 of the Act and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby—

(a) suspend, upto the 7th day of March, 1974, in relation to the said Union territory of Pondicherry, the operation of the following provisions of the Act, namely:—

sub-section (1), and clause (a) of sub-section (2), of section 6;

in section 7, sub-sections (1), (3) and (4), clauses (b) and (c) of sub-section (2) and the first proviso to that sub-section, and so much of sub-section (5) as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker;

sections 8 to 12 (both inclusive), sections 15 to 17 (both inclusive), section 22 and section 24;

so much of sub-section (1) of section 27 as requires the previous approval of the President and so much of clause (c) of sub-section (3) of the same section as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker;

so much of sub-section (1) of section 30 as requires the previous approval of the President;

sections 33, 34(2) and 36;

sections 44 and 45;

sub-section (1), and the following provision, namely, "whether taken on the advice of his Ministers or otherwise" in sub-section (2), of section 46; and

so much of section 50 as relates to the Council of Ministers; and

(b) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary and expedient for administering the Union territory of Pondicherry in accordance with the provisions of article 239 of the Constitution during the aforesaid period, namely:—

(i) the Legislative Assembly of the said Union territory is hereby dissolved;

(ii) in relation to the said Union territory, unless the context otherwise requires, any reference in sections 6, 23, 27 to 31 (both inclusive) and section 49 of the Act to the Administrator shall be construed as a reference to the President and any reference in those sections (except section 6) and in section 48 to the Legislative Assembly of a Union territory by whatever form of words shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed as a reference to Parliament;

(iii) in relation to the said Union territory, the reference to the Legislative Assembly of a Union territory in section 26 shall be construed as including a reference to Parliament.

V. V. GIRI,
President.

[No. F. U-11022/6/73-UTL]

N. K. MUKARJI, Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1974

का० आ० 10(अ).—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है :

आदेश

यत: मुझे, व० वे० गिरि, भारत के राष्ट्रपति को, पाण्डिचेरी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और उस रिपोर्ट तथा मुझे प्राप्त अन्य जानकारी पर विचार करने के पश्चात्, मेरा यह समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें पाण्डिचेरी संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन, संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है) के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता ;

अत: अब, इस अधिनियम की धारा 51 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं,—

(क) इस अधिनियम के निम्नलिखित उपबन्धों का प्रवर्तन, उक्त पाण्डिचेरी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, 1974 के मार्च के सातवें दिन तक निलम्बित करता हूं, अर्थात् :—

धारा 6 की, उपधारा (1), और उपधारा (2) का खण्ड (क) ;

धारा 7 में, उपधारा (1), (3) और (4), उपधारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) और उस उपधारा का प्रथम परन्तुक और उपधारा (5) का उतना भाग जो उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों से संबंधित है ;

धारा 8 से 12 (जिनमें दोनों धारा सम्मिलित हैं), धारा 15 से 17 (जिनमें दोनों धारा सम्मिलित हैं), धारा 22 और धारा 24 ;

धारा 27 की उपधारा (1) का उतना भाग जिसके लिए राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है और उसी धारा की उपधारा (3) के खण्ड (ग) का उतना भाग जो उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों से संबंधित है ;

धारा 30 की उपधारा (1) का उतना भाग जिसके लिए राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है ;

धारा 33, 34(2) और 36 ;

धारा 44 और 45 ;

धारा 46 की, उपधारा (1) और उपधारा (2) में, निम्नलिखित उपबन्ध, अर्थात् "क्या अपने मंत्रियों की सलाह पर या अन्यथा लिया गया" ; और

धारा 50 का उतना भाग जो मंत्रिपरिषद् से संबंधित है ; और

(ख) निम्नलिखित आनुषंगिक और पारिणामिक उपबन्ध बनाता हूं जो मुझे पूर्वोक्त अवधि के दौरान संविधान के अनुच्छेद 239 के उपबन्धों के अनुसार पाण्डिचेरी संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन करने के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत होते हैं, अर्थात् :—

(i) उक्त संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा भंग की जाती है ;

(ii) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उक्त संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, इस अधिनियम की धारा 6, 23, 27 से 31 (जिनमें दोनों धारा सम्मिलित हैं) और धारा 49 में प्रशासक के प्रति किसी निर्देश का अर्थ राष्ट्रपति के प्रति निर्देश लगाया जाएगा, और उन धाराओं में (धारा 6 को छोड़कर) और धारा 48 में किसी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के प्रति किन्हीं भी शब्दों में निर्देश का, जहां तक उसका संबंध उसके कृत्यों और उसकी शक्तियों से है, अर्थ, संसद के प्रति निदश लगाया जाएगा ;

(iii) उक्त संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, धारा 26 में किसी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि उसके अन्तर्गत संसद् के प्रति निर्देश भी है।

व० वे० गिरि,
राष्ट्रपति ।

तारीख : जनवरी 3, 1974

[सं० फा० यू-11022/6/73-यू०टी०एल०]

नि० मुकर्जी, सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974